न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 534–दो/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 05–04–2005 के द्वारा न्यायालय आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 125/2003–04/अपील

....

1. जसराम पुत्र चन्द्रमाधौ
2. मु0 सूरजा देवी पत्नी श्री चन्द्रमाधौ
   निवासीगण–ग्राम मदाखुर, तहसील व
   जिला–भिण्ड, म0प्र0

.... आवेदकगण

विरूद्ध

मीरादेवी पुत्री श्री चन्द्रमाधौ पत्नी श्री लालबहादुर
निवासी–ग्राम लोनी, जिला– गाजियाबाद, उ0प्र0

.... अनावेदिका

....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
अनावेदिका पूर्व से एक पक्षीय है

....

आदेश
(आज दिनांक 15-11-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–04–2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा खुर्द (फूप) में स्थित खाता क्रमांक 29 की आराजी 280 रकबा 0.324, 281 रकबा 0.293, 283 रकबा 0.199, 284 रकबा 0.345, 285, रकबा 0.272, 286 रकबा 0.209 कुल किता 6 रकबा 1.642 हैक्टर के भूमि स्वामी चन्द्रमाधौ थे। उनकी मृत्यु के पश्चात पटवारी मौजा ने नामांतरण पंजी क्रमांक 15 दिनांक 30.03.2003 पर पृविष्टि दर्ज की और नायब तहसीलदार फूप ने दिनांक 15.04.2003 को आवेदकगण ने नाम नामांतरण कर दिया। अनावेदिका मीरादेवी ने नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के

विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 32/2003–04/अपील माल पर दर्ज की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त अपील को अवधि अन्दर मानकर नायब तहसीलदार का आलोच्य आदेश दिनाक 15.04.03 निरस्त कर दिया और मृतक चन्द्रमाधौ पुत्र रामभरोसे, निवासी–भदाखुर के नाम ग्राम फूप के खाता क्रमांक 29 किता 6 रकबा 1.642 हैक्टयर पर वारिसान के आधार पर जसराम पुत्र चन्द्रमाधौ, सूरजादेवी बेवा चन्द्रमाधौ एवं मीरादेवी पुत्री चन्द्रमाधौ का समान भाग पर नामांतरण स्वीकार कर लिया । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण 125/2003–04/अपील में पारित आदेश दिनांक 05–04–2005 द्वारा अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सरासर अवधि बाह्य थी। विलम्ब को क्षमा किये जाने के लिये कोई पर्याप्त आधार नहीं होते हुये भी अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समयावधि में माना है। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण में केवल मात्र अवधि के प्रश्न पर तर्क सुने गये थे तथा अवधि के प्रश्न पर ही आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के गुण–दोषों पर भी आदेश पारित कर दिये, जो न्यायोचित नहीं है। जबकि गुण–दोषों पर तर्क ही प्रस्तुत नहीं किये गये तब गुण–दोषों पर आदेश पारित न केवल कानूनन अपितु प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से आदेश निरस्ती योग्य है। उन्होंने तर्क में यह कहा कि अपीलीय न्यायालयों के मत में प्रारंभिक न्यायालय में नामांतरण की कार्यवाही विधिवत नहीं हुई थी तब प्रकरण विधिवत जांच हेतु प्रारंभिम न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिये था, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना जांच नामांतरण आदेश देने में त्रुटि की है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदिका को रजिस्ट्रर्ड डाक से सूचना पत्र जारी किया गया, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेदिका ने अधीनस्थ न्यायालया में अपील के साथ विवादित आदेश की प्रमाणित

प्रस्तुत नहीं की और न धारा 48 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत ... । इस कारण अपील प्रचलन योग्य नहीं थी। अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी के ... में संलग्न धारा 42 भू–राजस्व संहिता के तहत आवेदम पत्र प्रस्तुत हुआ है, जिसमें ... प्रतिलिपि प्रस्तुत करने को समय दिये जाने की याचना की गई । आवेदन में गलत धारा अंकित होना अभिभाषक की त्रुटि हो सकती है, जिसके लिये पक्षकार को दोषी मानना न्यायोचित नहीं है। आवेदकगण का दूसरा तर्क यह है कि अवधि के बिन्दू पर कोई जांच नहीं की गई। ग्राम फूप खुर्द की नामांतरण पंजी क्रमांक 15 दिनांक 03.03.2003 के अवलोकन से पाया जाता है कि मृतक चन्द्रमाधौ की पुत्री अनावेदिका मीरादेवी का नाम मृतक के सजरा खानदान में सम्मिलित नहीं किया गया है और न उसे कोई सूचना तामील कराई गई है। जबकि वह मृतक की पुत्री होकर वारिस है और हितबद्ध पक्षकार है। इस प्रकार उसे विचारण न्यायालय के विवादित आदेश दिनांक 15.04.2003 की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संलग्न नकल खतौनी एवं खसरा सम्वत 2060 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह नकले पटवारी ग्राम से दिनांक 04.06.2004 को प्राप्त की गई है। धारा 5 अवधि विधान के आवेदन–पत्र में प्रत्यर्थी ने भी विवादित आदेश की जानकारी इसी दिनांक 04.06.2004 को होना बताया है। न्यायालय आयुक्त चम्बल संभाग का मत है कि धारा 5 के बिन्दू पर अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तृत विवेचना की है। साथ ही इस धारा के समबन्ध में न्याय दृष्टांत बजीर खां विरूद्ध श्रीमती सुमित्रा देवी तथा अन्य 1984 रा0नि0 328 में दी गई व्यवस्था का उल्लेख करते हुये अनावेदिका विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थी, इसलिये उक्त न्याय दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर स्पष्टतः लागू होना मानकर धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर अनावेदिका की अपील अन्दर म्याद मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की है। चूँकि अनावेदिका मीरा देवी मृतक चन्द्रमाधौ की पुत्री होकर उसकी वैध वारिस है और उसे अपना नामांतरण कराने का अधिकार है। इस कारण अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका की अपील अन्दर म्याद मानकर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये ग्राम फूप के खाता क्रमांक 29 किता 6 रकबा 1642 है0 पर वारिसान के आधार पर जसराम पुत्र चन्द्रमाधौ, सूरजादेवी बेवा चन्द्रमाधौ एवं मीरादेवी पुत्री चन्द्रमाधौ का समान भाग पर नामांतरण स्वीकार किये जाने सम्बन्धी आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसी आधार पर आयुक्त न्यायालय ने अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपने विस्तृत आदेश में यथावत रखा है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–04–2015 विधिसंगत है । उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर